आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा (आई०सी०डी०एस०) अपील वाद संख्या –57/2023

पुष्पा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
04.05.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 20791/2014 में दिनांक–24.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 21.02.2014 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"After some arguments, learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this writ application with liberty to prefer an appeal before the Divisional Commissioner, Tirhut Division.** **Permission is granted."** वादी के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना एवं वाद को अधिग्रहित करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति से वाद अभिलेख की मांग की गयी। सुनवाई के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रस्तुत वाद को अपील के रुप में नहीं बल्कि विभागीय	

WEB COPY NOT OFFICIAL

मार्गदर्शिका के अनुसार शिकायत के रुप में आयुक्त को सुनने की अधिकारिता है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) अपीलकर्ता द्वारा महिला पर्यवेक्षिका (संविदा) के पद पर नियोजन हेतु दिनांक 04.08.2010 को ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया। आवेदन के साथ आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया था।

(ii) प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में क्रमांक–24 पर अपीलकर्ता का नाम अंकित था।

(iii) अपीलकर्ता को दिनांक 13.11.2013 को कांउन्सेलिंग हेतु सभी प्रमाण–पत्रों के साथ बुलाया गया।

(iv) दिनांक 29.01.2014 को अपीलकर्ता द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया।

(v) दिनांक 18.01.2014 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में अपीलकर्ता का नाम अंकित नहीं था क्योंकि स्नातक के भूगोल एवं समाज विज्ञान का 5 बोनस अंक नहीं जोड़ा गया था। उक्त के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.02.2014 को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को आवेदन भी समर्पित किया गया। परंतु उक्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(vi) अगर अपीलकर्ता को बोनस अंक मिल जाता तो वह मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान पर आ जाती और महिला पर्यवेक्षिका के पद पर चयनित हो जाती।

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला संविदा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर चयन से संबंधित है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा कि स्नातक के लिए बोनस अंक नही दिया गया, मान्य नहीं हो सकता क्योंकि आवेदिका भूगोल (प्रतिष्ठा) में स्नातक उत्तीर्ण है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1846 दिनांक 10.06.2022 द्वारा निर्गत महिला पर्यवेक्षिका (संविदा) के नियोजन हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका (iv) 1 (क) में अंकित है कि ***"अनिवार्य अर्हता :– भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक । वांछनीय अर्हताः– निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक) के साथ उतीर्ण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिये जायेगें– 1. समाजशास्त्र 2. समाज कार्य 3. गृह विज्ञान 4. मनोविज्ञान 5. बाल विकास एवं पोषण 6. आहार विज्ञान 7. श्रम एवं समाजशास्त्र।"***

इस प्रकार बोनस अंक का प्रावधान उपर्युक्त विषय में स्नातकोत्तर उतीर्ण अभ्यर्थी के लिए है न कि स्नातक उतीर्ण अभ्यर्थी के लिए। चूंकि आवेदिका स्नातकोत्तर उतीर्ण ही नही है, तो उनके द्वारा बोनस अंक का दावा किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

अतएव इस संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति, पूर्वी चम्पारण द्वारा लिया गया निर्णय सही और नियमानुकूल है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं पाते हुए श्रीमती पुष्पा कुमारी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश

WEB COPY NOT OFFICIAL

	प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL